रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23042025-262630
CG-DL-E-23042025-262630

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1780] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 22, 2025/वैशाख 2, 1947
No. 1780] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 22, 2025/ VAISHAKH 2, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 , अप्रैल 2025

का.आ. 1813(अ).— निम्नलिखित प्रारुप अधिसूचना, जिसे केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है, को जनता, जिसके इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत अपेक्षित अनुसार एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारुप अधिसूचना पर तारीख, जिसको इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा;

प्रारुप अधिसूचना में निहित प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति इन्हें लिखित रूप में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार के विचारार्थ सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या इन्हें मंत्रालय के ई-मेल पते esz-mef@com.in पर भेज सकता है।

प्रारुप अधिसूचना

जबकि, सावंतवाड़ी-डोडामार्ग क्षेत्र के पारिस्थितिक महत्व पर विचार करते हुए, माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 22 मार्च 2024 के अपने निर्णय में, जनहित याचिका संख्या 179/2012: (आवाज़ फाउंडेशन बनाम भारत संघ) और जनहित याचिका संख्या 198/2014: (वनशक्ति फाउंडेशन बनाम भारत संघ) में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को निर्देश दिया कि वह वन्यजीवों और उसके गलियारों सहित संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और संरक्षण के लिए महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में सावंतवाड़ी-डोडामार्ग गलियारे को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (इसके बाद सावंतवाड़ी-डोडामार्ग ईएसए के रूप में संदर्भित संदर्भित किया) घोषित करे;

और जबकि, महाराष्ट्र सरकार ने जनहित याचिका संख्या 179/2012: आवाज़ फाउंडेशन बनाम भारत संघ और जनहित याचिका संख्या 198/2014: वनशक्ति फाउंडेशन बनाम भारत संघ में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के 22 मार्च 2024 के निर्णय के अनुपालन में, संख्या एस-30/09.14/सी.आर.259/एफ-1, तारीख 11 मार्च, 2025 के द्वारा, सावंतवाड़ी-डोडामार्ग ईएसए की घोषणा के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपना आखिरी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

अब इसलिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित, केन्द्रीय सरकार, महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग जिले में आने वाले 25 गांवों में फैले 212.59 वर्ग किलोमीटर के चिह्नित क्षेत्र को सावंतवाड़ी-डोडामार्ग ईएसए के रूप में अधिसूचित करती है।

1. **सावंतवाड़ी-डोडामार्ग पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र का विस्तार और सीमा विवरण.-** सावंतवाड़ी-डोडामार्ग ईएसए में 25 गांव शामिल हैं, जो सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी और डोडामार्ग तालुका में 212.59 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हैं।
   - क. पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र का मानचित्र **अनुलग्नक क** के रूप में संलग्न है;
   - ख. पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में आने वाले गांवों की सूची संबंधित तालुकाओं के साथ **अनुलग्नक ख** के रूप में संलग्न है।
   - ग. पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र की बाहरी सीमा पर प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांक **अनुलग्नक ग** के रूप में संलग्न हैं;
2. **सावंतवाड़ी-डोडामर्ग पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में परियोजनाएं और गतिविधियां प्रतिबंधित हैं. -** पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र में निम्नलिखित श्रेणियों की परियोजनाएं और क्रियाकलाप प्रतिसिद्ध होंगे:-

क- खनन.- पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में खनन, उत्खनन, पिसाई इकाइयों की स्थापना पूर्णतया प्रतिसिद्ध होगा तथा अंतिम अधिसूचना जारी होने की तिथि से पांच वर्ष के भीतर या मौजूदा खनन पट्टे की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, सभी मौजूदा खदानों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा।

बशर्ते कि वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मकानों के निर्माण या मरम्मत तथा पारंपरिक सड़क निर्माण एवं रखरखाव कार्यों के लिए राज्य स्तरीय मॉनीटरी समिति के अनुमोदन से चिह्नित क्षेत्रों में मिट्टी खोदने की अनुज्ञा दी जाएगी।

बशर्ते कि, ऐसी सभी क्रियाकलाप टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम यूओआई के मामले में डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 202/1995 और तारीख 4 अगस्त, 2006 के मामले में क्रमशः 26 अप्रैल 2023 और 28 अप्रैल 2023 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार की जाएंगी; और गोवा फाउंडेशन बनाम यूओआई के मामले में डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 435/2012 के मामले में क्रमशः 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसार की जाएंगी, और समय-समय पर संशोधित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस विषय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार की जाएंगी।

ख- ताप विद्युत संयंत्र.- पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी नव ताप विद्युत परियोजना तथा मौजूदा संयंत्रों के विस्तार की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

ग- उद्योग.- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट सभी नए 'लाल' श्रेणी के उद्योगों और ऐसे मौजूदा उद्योगों के विस्तार को प्रतिसिद्ध किया जाएगा और उद्योगों की 'लाल' श्रेणी की सूची केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी और समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार विनिर्दिष्ट किया जाएगा। बशर्ते कि लाल श्रेणी के उद्योगों, बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत यथा परिभाषित स्वायत देखभाल प्रतिष्ठानों सहित, पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र प्रयोज्य नियमों एवं विनियमों के तहत उनके विस्तार के बिना, के रूप में बने रहेंगे।

घ- भवन, निर्माण, नगर और क्षेत्र विकास परियोजनाएं. - 20,000 वर्ग मीटर और उससे अधिक निर्मित क्षेत्र वाली सभी नई और विस्तारित इमारतें और निर्माण परियोजनाएं तथा 50 हेक्टेयर और उससे अधिक क्षेत्र वाली सभी नई और विस्तारित नगर और क्षेत्र विकास परियोजनाएं या 1,50,000 वर्ग मीटर और उससे अधिक निर्मित क्षेत्र वाली परियोजनाएं प्रतिसिद्ध रहेंगी, बशर्ते कि मौजूदा विधियों और विनियमों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में मौजूदा आवासीय घरों की मरम्मत या विस्तार या नवीनीकरण पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

3. पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में परियोजनाओं और क्रियाकलापों की निम्नलिखित श्रेणियों को विनियमित किया जाएगा:-

(क) जलविद्युत परियोजनाएँ- पम्प स्टोरेज जलविद्युत परियोजनाओं सहित नई जलविद्युत परियोजनाओं को पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुज्ञा दी जाएगी, अर्थात्:-

(i) कम से कम तीस प्रतिशत नदियों का पारिस्थितिक प्रवाह दुर्बल मौसम में भी निर्बाध बना रहे, जब तक कि एक व्यापक अध्ययन प्रत्येक परियोजना के लिए अलग-अलग आधार रेखाएं स्थापित नहीं कर देता;

(ii) एक संचयी अध्ययन जो प्रत्येक परियोजना के उन नदियों के प्रवाह स्वरूप पर जिन पर परियोजना का निर्माण किया जा रहा है और वन, प्राकृतिक आर्द्रभूमि और जैव विविधता के किसी भी नुकसान पर प्रभाव आकलन करता है; तथा

(iii) नदी के एक हिस्से में एक परियोजना से दूसरी परियोजना के बीच न्यूनतम दूरी तीन किलोमीटर रखी जाएगी तथा किसी भी समय नदी जलाशय का पचास प्रतिशत से अधिक हिस्सा प्रभावित नहीं होगा।

(ख) - केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर संशोधित "नारंगी/हरा और सफेद" श्रेणी के उद्योगों को पर्यावरण विनियमों के सख्त अनुपालन के साथ अनुज्ञा दी जाएगी, लेकिन उन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे जिनका पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है और जो "हरा" या "सफेद" श्रेणी के उद्योगों में आते हैं जैसा भी मामला हो।

(ग) पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना संख्या का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006, जिसे तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया था, की अनुसूची में शामिल क्रियाकलापों के मामले में, जो पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में आती हैं, सिवाय उन परियोजनाओं और क्रियाकलापों के, जिन्हें उप-पैरा (1) के अधीन विशिष्ट रूप से प्रतिसिद्ध किया गया है, उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन मंत्रालय द्वारा पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति पर विचार करने से पूर्व संचयी प्रभावों और विकास आवश्यकताओं की संवीक्षा की जाएगी और उनका मूल्यांकन किया जाएगा।

(घ) विशेष रूप से और प्रासंगिक अधिनियमों के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के परिवर्तन के मामलों में, आवेदन चरण से अनुमोदन तक परियोजना की सभी जानकारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट और वन विभाग, महाराष्ट्र की वेबसाइट पर सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में रखी जाएगी।

(ङ) अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अधीन पूर्व सूचित सहमति की आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाएगा और परियोजनाओं और क्रियाकलापों को शुरू करने के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य होगी।

(च) वन भूमि के मामले में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना तथा सरकारी, राजस्व और निजी भूमि के मामले में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित जिला कलेक्टर की अनुमति के बिना वन, सरकारी, राजस्व या निजी भूमि पर पेड़ों की कटाई नहीं की जाएगी।

4. कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र.- (1) पर्यटन आंचलिक महायोजना सहित वहन क्षमता अध्ययन के आधार पर एक अलग आंचलिक महायोजना, इसके घटक के रूप में, पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के लिए तैयार किया जाएगा और इसे इस अधिसूचना के उपबंधों के कार्यान्वयन और ऐसे क्षेत्रों के समग्र सतत विकास के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(2) आंचलिक महायोजना में खड़ी पहाड़ी ढलानों वाले क्षेत्रों या जोखिम क्षेत्र या उच्च स्तर के कटाव वाले क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा, जहाँ निर्माण क्रियाकलापों की अनुज्ञा नहीं होगी। आंचलिक महायोजना के अनुमोदन तक पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के भीतर ऊपर पैरा 3 में निर्दिष्ट विनियमित क्रियाकलापों के किसी भी विकास को उसकी मंजूरी के लिए निगरानी समिति को भेजा जाएगा।

(3) इस अधिसूचना के उपबंधों की निगरानी और प्रवर्तन तथा आंचलिक महायोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य स्तरीय मॉनीटरी समिति में निहित होगी, जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर, सिंधुदुर्ग होंगे तथा उप वन संरक्षक, सावंतवाड़ी वन प्रभाग इसके सदस्य सचिव होंगे। इस समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन के एक वर्ष के भीतर किया जाएगा।

(4) निगरानी समिति में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल संसाधन, मृदा संरक्षण, कृषि एवं मत्स्य पालन, लोक स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, राज्य सरकार के योजना एवं पर्यटन विभागों के प्रतिनिधि उचित स्तर पर "पदेन" सदस्य के रूप में शामिल होंगे। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पारिस्थितिकी और पर्यावरण, वन्यजीव के क्षेत्र में किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय या संस्थान तथा गैर-सरकारी संगठन से दो विशेषज्ञों को गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। निगरानी समिति यथासंभव बार-बार बैठक करेगी, लेकिन प्रत्येक छह माह में कम से कम एक बार बैठक होगी।

(5) निगरानी समिति राज्य सरकार को मौजूदा विनियामक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के उपायों की सिफारिश करेगी, जहां तक उनका संबंध सावंतवाड़ी-डोडामार्ग पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र से है और वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1553 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी और पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र में सम्मिलित है, सिवाय इसके कि इसमें विनिर्दिष्ट प्रतिसिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में केंद्रीय सरकार या राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(6) निगरानी समिति के सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(7) पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र में अनुमत परियोजनाओं और क्रियाकलापों की मंजूरी के बाद की मॉनीटरी महाराष्ट्र राज्य सरकार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जाएगी और पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र में सभी परियोजनाएं जिन्हें पर्यावरणीय अनापत्ति या वन अनापत्ति दी गई है, उनकी मॉनीटरी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार की जाएगी।

(8) पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र में सभी परियोजनाएं, जिन्हें जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) या वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन स्थापना या प्रचालन की अनुज्ञा दी गई है, की मॉनीटरी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार की जाएगी और राज्य सरकार मॉनीटरी समिति की सहायता से सावंतवाड़ी-डोडामर्ग पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के संबंध में द्विवार्षिक रूप से 'स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट' तैयार करेगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस अधिसूचना के उपबंधों की मॉनीटरी और प्रवर्तन में उठाए गए कदमों का ब्यौरा दिया जाएगा और उसे सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में उपलब्ध कराया जाएगा।

(9) केन्द्रीय सरकार, मॉनीटरी समिति को उसके कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए लिखित रूप में ऐसे निर्देश दे सकेगी, जो वह उचित समझे।

5. उल्लंघन के लिए कार्रवाई: इस अधिसूचना के उपबंधों के किसी भी उल्लंघन के मामले में, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) और अन्य प्रासंगिक विधियों के उपाबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी। निगरानी समिति के सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

6. उच्चतम न्यायालय के आदेश, आदि: इस अधिसूचना के उपाबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित अंतिम आदेशों, यदि कोई हो, के अधीन होंगे।

7. अपील: (i) मॉनीटरी समिति के किसी निर्णय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे निर्णय या आदेश के विरुद्ध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अपील कर सकेगा।

(ii) इस पैरा के अधीन प्रत्येक अपील ज्ञापन में मामले के तथ्य, उस निर्णय या आदेश का विवरण, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, तथा उस निर्णय या आदेश से व्यथित होने का कारण तथा वांछित उपचार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव को संबोधित किया जाएगा।

(iii) प्रभावित व्यक्ति द्वारा अपील का प्रत्येक ज्ञापन निर्णय या आदेश की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर किया जाएगा।

अनुलग्नक क

सिंधुदुर्ग जिले में पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र सावंतवाड़ी-डोडामर्ग का मानचित्र

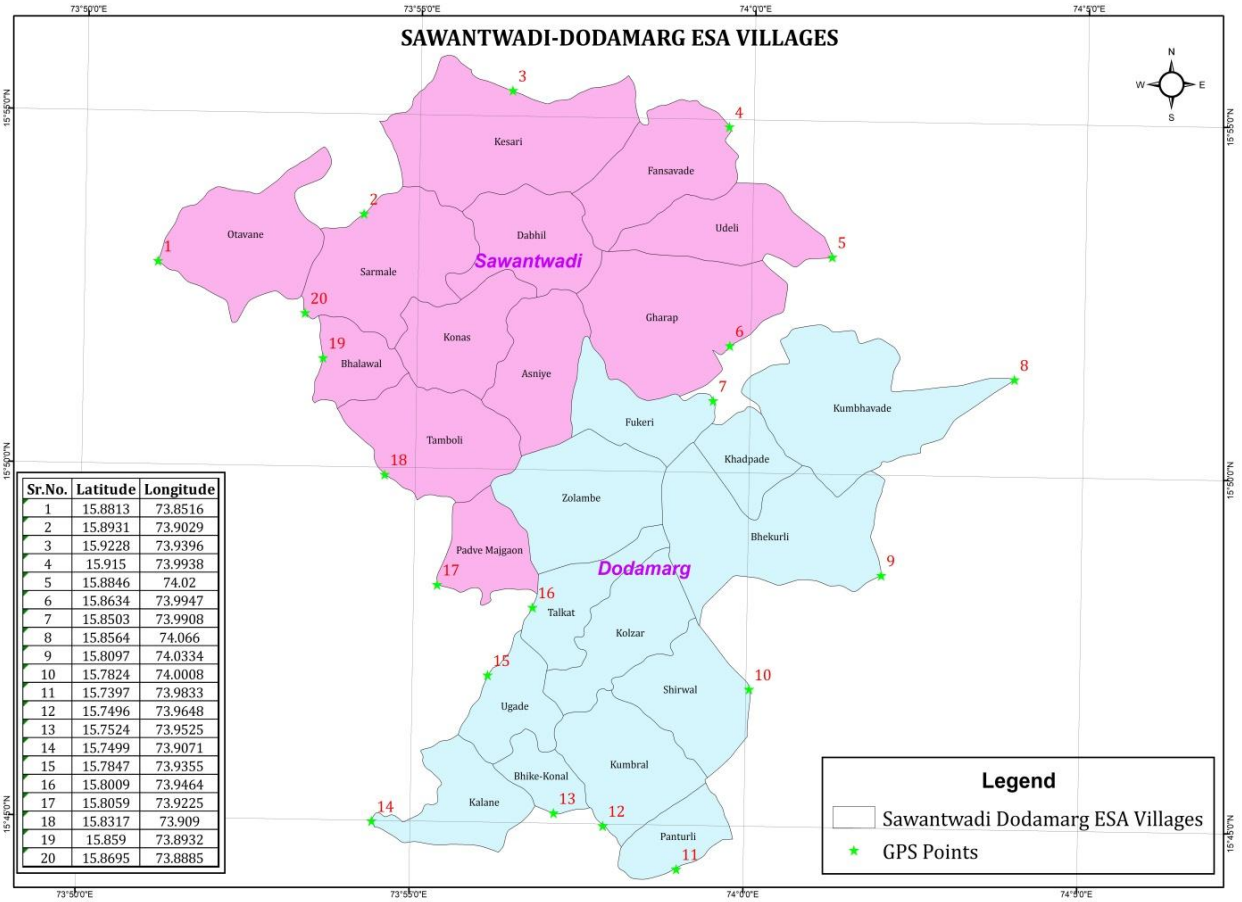

Sr.No.	Latitude	Longitude
1	15.8813	73.8516
2	15.8931	73.9029
3	15.9228	73.9396
4	15.915	73.9938
5	15.8846	74.02
6	15.8634	73.9947
7	15.8503	73.9908
8	15.8564	74.066
9	15.8097	74.0334
10	15.7824	74.0008
11	15.7397	73.9833
12	15.7496	73.9648
13	15.7524	73.9525
14	15.7499	73.9071
15	15.7847	73.9355
16	15.8009	73.9464
17	15.8059	73.9225
18	15.8317	73.909
19	15.859	73.8932
20	15.8695	73.8885

अनुलग्नक ख

सिंधुदुर्ग जिले में सावंतवाड़ी-डोडामार्ग पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र में आने वाले गांवों की सूची

क्र. स..	जिला	तालुक	गाँव का नाम
1	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	आसनिये
2	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	पडवे मजगाओं
3	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	भलवाल
4	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	तंबोली
5	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	सरमाले (नेवली सहित)
6	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	डाभिल
7	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	ओटावने
8	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	कोनस
9	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	घरपी
10	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	उड़ेली
11	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	केसरी
12	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	फंसावड़े
13	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	कुंब्रल
14	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	पनटुर्ली
15	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	तालकट
16	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	जोलाम्बे
17	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	कोलज़ार
18	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	शीर्वल
19	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	उघाड़े
20	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	कलाने
21	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	भिकेकोनाल
22	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	कुम्भावड़े
23	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	खड़पाड़े
24	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	भेकुर्ली
25	सिंधुदुर्ग	सावंतवाड़ी	फुकेरी

अनुलग्नक ग

सावंतवाड़ी-डोडामार्ग पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र की बाहरी सीमा पर प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांक

क्र. स.	अक्षांश	देशान्तर	क्र. स.	अक्षांश	देशान्तर
1	15.8813	73.8516	11	15.7397	73.9833
2	15.8931	73.9029	12	15.7496	73.9648
3	15.9228	73.9396	13	15.7524	73.9525
4	15.915	73.9938	14	15.7499	73.9071
5	15.8846	74.02	15	15.7847	73.9355
6	15.8634	73.9947	16	15.8009	73.9464
7	15.8503	73.9908	17	15.8059	73.9225
8	15.8564	74.066	18	15.8317	73.909
9	15.8097	74.0334	19	15.859	73.8932
10	15.7824	74.0008	20	15.8695	73.8885

[फा.सं. 25/01/2025-ईएसजेड]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक-जी

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April 2025

S.O. 1813(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and

Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Jor bagh Road, Ali Ganj, New Delhi-110003, or at e-mail address: esz-mef@nic.in.

Draft notification

WHEREAS, considering the ecological importance of the Sawantwadi-Dodamarg area, the Hon'ble High Court of Bombay, in its Judgment dated 22nd March 2024, in PIL No. 179 of 2012: Awaaz Foundation vs. Union of India and PIL No. 198 of 2014: Vanashakti Foundation vs. Union of India, directed the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India to declare Sawantwadi-Dodamarg corridor in Sindhudurg District of Maharashtra as an Ecologically Sensitive Area (hereinafter referred to as Sawantwadi-Dodamarg ESA) for the protection and conservation of entire ecosystem, including wildlife and its corridors;

AND WHEREAS, the Government of Maharashtra in compliance to the Judgment dated 22nd March 2024, of the Hon'ble High Court of Bombay in PIL No. 179 of 2012: Awaaz Foundation vs. Union of India and PIL No. 198 of 2014: Vanashakti Foundation vs. Union of India, have submitted vide No. S-30/09.14/C.R.259/F-1, dated 11th March, 2025, its final proposal for declaration of Sawantwadi-Dodamarg ESA to the Ministry of Environment, Forests and Climate Change.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an identified area of 212.59 square kilometer spreading across 25 villages falling in Sindhudurg district of Maharashtra State, as the Sawantwadi-Dodamarg ESA.

1. Extent and boundary description of the Sawantwadi - Dodamarg Ecologically Sensitive Area.- The Sawantwadi-Dodamarg ESA comprises of 25 villages, encompassing an area of 212.59 square kilometer in Sawantwadi and Dodamarg Talukas of Sindhudurg district.

a) The map of the Ecologically-sensitive Area is appended as **Annexure A**;
b) The list of villages falling in ESA with respective talukas is appended as **Annexure B;**
c) The geo-coordinates of prominent points on the outer boundary of the ESA is appended as **Annexure C;**

2. Projects and activities prohibited in the Sawantwadi-Dodamarg Ecologically-sensitive Area.-The following categories of projects and activities shall be prohibited in Eco-sensitive Area:-

a) **Mining.-** There shall be a complete ban on mining, quarrying, establishment of crushing units in the Ecologically Sensitive Area and all existing mines shall be phased out within five years from the date of issue of the final notification or on the expiry of the existing mining lease, whichever is earlier.

Provided that digging of earth in areas identified with the approval of the State-level Monitoring Committee for meeting the domestic needs of bona fide local residents for the construction or repair of houses and traditional road making and maintenance works shall be allowed.

Provided further that, all such activities shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 26th April 2023; and 28th April 2023 respectively in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 4th August, 2006; and 21st April, 2014 respectively in the matter of Goa Foundation Vs UOI in W.P.(C) No. 435 of 2012, and the guidelines issued on the subject by the Central Pollution Control Board and Ministry of Environment, Forest and Climate Change as amended from time to time.

b) **Thermal power plants.-** No new thermal power projects and expansion of existing plants shall be allowed in the Ecologically Sensitive Area.

c) **Industry.-** All new 'Red' category of industries as specified by the Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board and the expansion of such existing industries shall be banned and the list of 'Red' category of industries shall be as specified as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board and as amended from time to time. Provided that existing 'Red' category of industries including health care establishments as defined under Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 shall continue in Ecologically sensitive Area without their expansion under the applicable rules and regulations.

d) **Building, construction, township and area development projects.-** All new and expansion projects of building and construction with built up area of 20,000 square meter and above and all new and expansion townships and area development projects with an area of 50 hectares and above or with built up area of 1,50,000 square meter and above shall be prohibited. Provided that there shall be no restriction on repair or extension or renovation of existing residential houses in the ESA as per prevailing laws and regulations.

3. The following categories of projects and activities shall be regulated in the ESA as given below:-

(a) Hydropower projects- New Hydropower projects including Pumped Storage Hydro projects shall be allowed as per the Environment Impact Assessment notification, published vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, subject to the following conditions, namely:-

(i) uninterrupted ecological flow of at least thirty percent of the rivers flow in lean season, till a comprehensive study establishes individual baselines for each project;

(ii) a cumulative study which assesses the impact of each project on the flow pattern of the rivers on which the project is being constructed and on any loss of forest, natural wetlands and biodiversity; and

(iii) the minimum distance between one project and the other is maintained at three kilometers on a river stretch and not more than fifty percent of the river basin is affected at any time.

(b) The "Orange /Green and White" category of Industries as specified by the Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board as amended from time to time, shall be allowed with strict compliance of environmental regulations but all efforts shall be made to promote industries that have low environmental impacts and fall in "Green" or "White" categories of industries as the case may be.

(c) In the case of activities that are covered in the schedule to the Environment Impact Assessment notification number S.O. 1533 (E), dated 14th September, 2006, published by the erst-while Ministry of Environment and Forests and are falling in the Ecologically sensitive Area, except the projects and activities which are specifically prohibited under sub-para (1) shall be scrutinized and assessed for cumulative impacts and development needs before considering for prior environmental clearance by the Ministry under the provisions of the said notification.

(d) In particular and without prejudice to the provisions of the relevant Acts, in cases of diversion of forest land for non-forestry purposes in the Eco-sensitive Area, all information of the project, from application stage to approval shall be placed in the public domain on the website of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and on the website of Forest Department, Maharashtra.

(e) The requirements of prior informed consent under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007) shall be complied with and the consent of Gram Sabha for undertaking projects and activities shall be mandatory.

(f) There shall be no felling of trees whether on Forest, Government, Revenue or Private lands, without the prior permission of the State Government in case of forest land, and the respective District Collector in case of Government, Revenue and private land, as per the procedure laid down by the State Government.

4. Implementation and Monitoring mechanism.– (1) A separate Zonal Master Plan based on the carrying capacity studies including tourism master plan, as its component shall be prepared for the Ecologically-sensitive Area and the same shall be approved by the Competent Authority in the State Government within a period of two years from the date of publication of this notification to carry-out implementation of the provisions of this notification and for holistic sustainable development of such areas.

(2) The Zonal Master Plan shall indicate areas on steep hill slopes or areas which lies in hazard zone or high degree of erosion, where construction activities shall not be permitted. Pending approval of the Zonal Master Plan any development of regulated activities as prescribed in para 3 above, within the ESA shall be referred to the Monitoring Committee for its approval.

(3) The responsibility for monitoring and enforcement of provisions of this notification and the implementation of the Zonal Master Plan shall vest with the State-level Monitoring Committee headed by District Collector, Sindhudurg District and Deputy Conservator of Forest, Sawantwadi Forest Division as its Member Secretary, to be constituted by the State Government within one year of publication of this notification.

(4) The Monitoring Committee shall have representatives from the State Pollution Control Board, Water Resources, Soil Conservation, Agriculture and Fisheries, Public Health, Public Works Department, Planning and Tourism Departments of the State Government at the appropriate level as “ex officio” members. Two experts in the domain of ecology and environment, wildlife respectively from a reputed University or Institution and Non-Governmental Organization as non-

official members shall be nominated by the State Government after every three-years. The Monitoring Committee shall meet as frequently as possible but not less than once every six months.

(5) The Monitoring Committee shall recommend to the State Government the measures for strengthening of existing regulatory institutions and processes in so far as they concern the Sawantwadi- Dodamarg Ecologically-sensitive Area and based on the actual site-specific conditions scrutinize, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1553 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the ESA, except for the prohibited activities as specified thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(6) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(7) The post clearance monitoring of projects and activities allowed in the ESA shall be carried out by the State Government of Maharashtra, State Pollution Control Board and all projects in the ESA which have been given Environmental Clearance or Forest Clearance shall be monitored at least once a year by the concerned Regional Office of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(8) All projects in the Ecologically sensitive Area which have been given consent to establish or Consent to Operate under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) or the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) shall be monitored at least once a year by the State Pollution Control Board and the State Government with the help of Monitoring Committee shall prepare ‘State of Health Report’ in respect of Sawantawadi-Dodamarg ESA biennially giving inter-alia the details of steps taken in monitoring and enforcement of provisions of this notification and make the same available in public domain.

(9) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

5. **Action for contravention**: In case of any contravention of the provisions of this notification, action under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and other relevant statutes shall be taken accordingly. The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

6. **Orders of Supreme Court, etc**.: The provisions in this notification shall be subject to the final orders, if any, passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

7. Appeal: (i) Any person aggrieved by a decision or order of the Monitoring Committee shall prefer an appeal against such decision or order to the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(ii) Every memorandum of appeal under this paragraph shall precisely states the facts of the case, the particulars of the decision or order appealed against and the reason for being aggrieved by the decision or order and the remedy sought for shall be addressed to the Secretary to Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(iii)Every memorandum of appeal by the affected person shall be made within ninety days from the date of receipt of the decision or order.

Annexure A

Map of the Sawantwadi-Dodamarg Ecologically sensitive area in Sindhudurg district

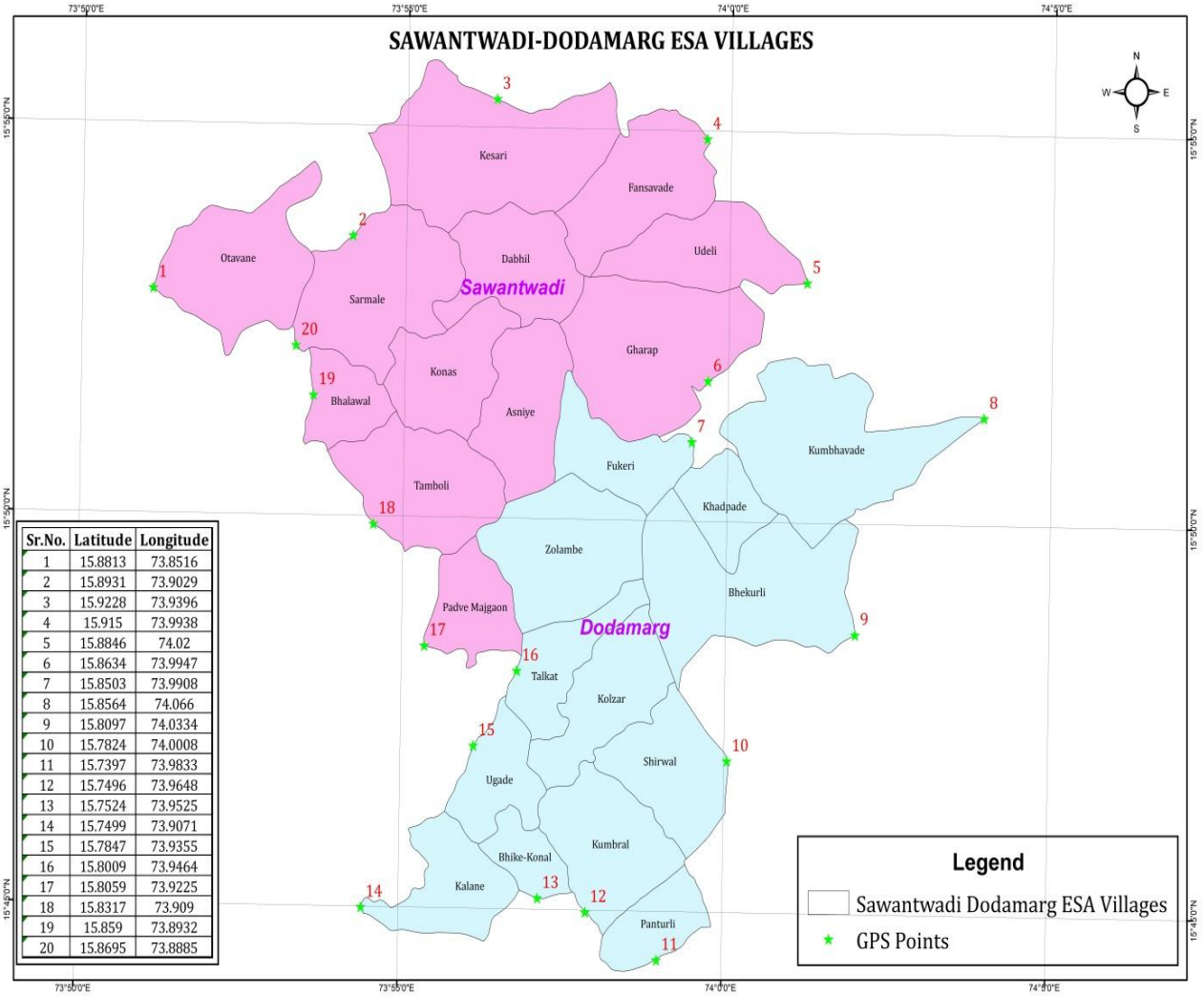

Sr.No.	Latitude	Longitude
1	15.8813	73.8516
2	15.8931	73.9029
3	15.9228	73.9396
4	15.915	73.9938
5	15.8846	74.02
6	15.8634	73.9947
7	15.8503	73.9908
8	15.8564	74.066
9	15.8097	74.0334
10	15.7824	74.0008
11	15.7397	73.9833
12	15.7496	73.9648
13	15.7524	73.9525
14	15.7499	73.9071
15	15.7847	73.9355
16	15.8009	73.9464
17	15.8059	73.9225
18	15.8317	73.909
19	15.859	73.8932
20	15.8695	73.8885

Annexure B

List of Villages falling in the Sawantwadi-Dodamarg ESA in Sindhudurg district

Sr. No.	District	Taluk	Village Name
1	Sindhudurg	Sawantwadi	Asaniye
2	Sindhudurg	Sawantwadi	Padwe Majgaon
3	Sindhudurg	Sawantwadi	Bhalawal
4	Sindhudurg	Sawantwadi	Tamboli
5	Sindhudurg	Sawantwadi	Sarmale (includes Nevli)
6	Sindhudurg	Sawantwadi	Dabhil
7	Sindhudurg	Sawantwadi	Otavane
8	Sindhudurg	Sawantwadi	Konas
9	Sindhudurg	Sawantwadi	Gharpi
10	Sindhudurg	Sawantwadi	Udeli
11	Sindhudurg	Sawantwadi	Kesari
12	Sindhudurg	Sawantwadi	Fansawade
13	Sindhudurg	Dodamarg	Kumbral
14	Sindhudurg	Dodamarg	Panturli
15	Sindhudurg	Dodamarg	Talkat
16	Sindhudurg	Dodamarg	Zolambe
17	Sindhudurg	Dodamarg	Kolzar
18	Sindhudurg	Dodamarg	Shirwal
19	Sindhudurg	Dodamarg	Ughade
20	Sindhudurg	Dodamarg	Kalane
21	Sindhudurg	Dodamarg	Bhikekonal
22	Sindhudurg	Dodamarg	Kumbhawade
23	Sindhudurg	Dodamarg	Khadpade
24	Sindhudurg	Dodamarg	Bhekurli
25	Sindhudurg	Dodamarg	Phukeri

Annexure C

Geo-coordinates of prominent points on the outer boundary of the Sawantwadi-Dodamarg ESA

Sr. No.	Latitude	Longitude	Sr. No.	Latitude	Longitude
1	15.8813	73.8516	11	15.7397	73.9833
2	15.8931	73.9029	12	15.7496	73.9648
3	15.9228	73.9396	13	15.7524	73.9525
4	15.915	73.9938	14	15.7499	73.9071
5	15.8846	74.02	15	15.7847	73.9355
6	15.8634	73.9947	16	15.8009	73.9464
7	15.8503	73.9908	17	15.8059	73.9225

8	15.8564	74.066	18	15.8317	73.909
9	15.8097	74.0334	19	15.859	73.8932
10	15.7824	74.0008	20	15.8695	73.8885

[F. No. 25/01/2025/ESZ]
Dr. S. KERKETTA Scientist ‘G

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.04.23 16:09:43 +05'30'